महत्वपूर्ण एवं खास

डा. रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग से की द्वितीय चरण की मतदान तिथि में बदलाव की मांग

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण की तारीख में बदलाव की मांग करते हुए पूर्व सीएम डा. रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग को ट्वीट किया है। इसके पीछे उन्होंने छठ पूजा पर्व को लेकर कारण दिया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को सीटों पर मतदान किया जाएगा और दूसरे चरण में 17 नवंबर को बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने दूसरे चरण के मतदान की तारीखों में बदलाव की मांग की है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण (17 नवंबर) के निकट छठ पूजा का पर्व आने से बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पायेंगे। मैं निर्वाचन आयोईसे आग्रह करता हूं कि दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाने की कृपा करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुडक़र अपने मताधिकार का पयोग कर पाएं।

पैक्ड पनीर का विक्रय ना करने पर कंपनी तथा विक्रेता को 50,000 रू. का अर्थदण्ड

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार पैक्ड पनीर का विक्रय ना करने पर कंपनी तथा विक्रेता को 50,000 रू. का अर्थदण्ड न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी सह न्याय निर्णयन अधिकारी दन्तेवाड़ा द्वारा अधिरोपित किया गया। ज्ञात हो कि विनिर्माता अमृतमाया फूड प्राइवेट लिमिटेड, सिमगा, बलौदाबाजार से निर्मित ''अमृतमाया पनीर'' नमूना परीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुस्मित देवांगन द्वारा विश्वास ढाबा (विश्वास फेमिली ढाबा, हारमपारा वार्ड क्रमांक 14 गीदम) से लिया गया था। उक्त पनीर में पैकेजिंग विनियम के उल्लेख प्रयोगशाला रिपोर्ट से प्राप्त होने पर प्रकरण माननीय न्यायालय ए.डी.एम. सह न्याय निर्णयन अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के पश्चात् उक्त पनीर के विकय को नियमानुसार नहीं पाते हुए पैकेजिंग विनियम 2011 का उल्लंघन पाया गया। अत: मिसब्राण्डेड पनीर का विक्रय करते पाये जाने के कारण विनिर्माता कंपनी अमृतमाया फूड प्राईवेट लिमिटेड, सिमगा, बलौदाबाजार एवं विश्वास ढाबा गीदम, दन्तेवाड़ा को पचास हजार रू. का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

मनरेगा जॉब कार्ड, पेन कादर्, स्मार्ट कार्ड सहित मतदान के लिए अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र निर्धारित

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत होने जा रहे मतदान के समय सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, वे वोट डालने हेतु मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएगे, किन्तु जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते वे अपनी पहचान हेतु निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत कर वोट डाल सकेंगे। वैकल्पिक पहचान पत्र के रुप निर्धारित किए गए पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्र/राज्य शासन अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किया जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी की गई स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, विधायक, सांसदों, विधान परिषद, सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि शामिल है, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 : निगरानी दलों ने अब तक जब्त की 6 करोड़ 57 लाख रूपए की नकद और वस्तुएं

❑ प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रखी जा रही है कड़ी नजर

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की तिथि की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता 9 अक्टूबर से लागू हो गई है। प्रदेश में विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी निवार्चन हेतु मतदाता को प्रभावित करने के उद्देश्य से परिवहन की जा रही अवैध धन राशि या वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 19 विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदगी का आँकड़ा 6 करोड़ 57 लाख 3 हजार 62 रूपए हो गया है। इसमें एक करोड़ 46 लाख रूपए नकद राशि बरामद की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसी) द्वारा निगरानी के दौरान अब तक 13 हजार 574 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 41 लाख 68 हजार रूपए है। साथ ही 1945 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है भी बरामद किया गया है। सघन जाँच अभियान के तहत अधिकारियों ने अवैध रूप से अन्य सामग्रियों जिनकी कीमत 2 करोड़ 17 लाख रूपए जब्त की हैं। इसके अतिरिक्त एक करोड़ 82 लाख रूपए कीमत के लगभग 83 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।

गौरतलब है कि 5 प्रमुख जिले जहां सबसे अधिक जब्ती की गई है, जिसमें क्रमशः बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, बस्तर तथा रायपुर शामिल है। विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु जब्तियों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के रूप में वेब एवं मोबाइल एप लांच किया है। इस एप्प में लगभग 1600 से भी ज्यादा FST / SST को रजिस्टर कर एप्प डाउनलोड करवाया गया है एवं इस एप्प के माध्यम से तत्काल जब्तियों की रिपोर्टिंग भी की जा रही है ।

विधानसभा चुनाव के लिए 10 हजार से अधिक वाहन अधिग्रहित

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसके बाद से चुनाव आयोग ने पूरी कमान संभाल ली है।

राजनीतिक दलों की तैयारी के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान दलों, अर्धसैनिक बलों आदि को लाने और ले जाने के लिए सभी प्रकार के वाहनों का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। अब तक पूरे प्रदेश में 10 हजार से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस काम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमेशा की तरह परिवहन निभा रहा है।

विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 और भविष्य में होने वाले उपचुनाव के समय लगाए जाने वाले शासकीय और अर्धशासकीय वाहनों का किराया दर परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तावित कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को भेज दिया गया है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में दो चरणों सात और सत्रह नंवबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान और उसके बाद तीन दिसंबर को होने वाले मतगणना को देखते हुए 10 हजार से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इसमें यात्री बस और ट्रक,कार आदि वाहन शामिल है। जिला कलेक्टरों के निर्देश पर परिवहन विभाग फिटनेस और वाहनों की जांच कर इनका अधिग्रहण कर रहा है। साथ ही जिला पुलिस को इन वाहनों को सौंपा जा रहा है। प्रथम चरण में बस और ट्रक मालिकों को वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।इसके बाद दूसरे चरण में मतदान दल और अधिकारियों के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी की कमी होने पर आरटीओ का अमला मैदान में उतरकर वाहनों को जब्त करेगा।गौरतलब है कि आचार संहिता लगने के पहले के पहले ही केंद्रीय फोर्स के जवानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।इसके देखते हुए उनके लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है।

आदिवासी परंपरा आज भी बरकरार : मातिन पहाड़ में देवी आसन की होती है पूजा

कोरबा (आरएनएस)। जिले के विभिन्न् पहाड़ों में देवी प्रतिमाओं की पूजा होती है वहीं मातिन एक मात्र ऐसा पहाड़ है, जहां उपर में स्थित मंदिर में देवी के आसन की पूजा होती है। छत्तीसढ़ में से एक गढ़ के रूप में मान्य इस क्षेत्र में आज भी आदिवासी परंपरा से पूजा का विधान है। पर्वत वासिनी देवी मंदिर में दूर-दूर से भक्तजन मनोकामना ज्योति की दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर मातिन दाई का पहाड़ गोंडवंशियों की देवी मां के प्रति आस्था का व्यक्त करता है। पुरातत्व विभाग के मार्ग दर्शक हरिसंह क्षत्री के अनुसार क्षेत्र में 12 वीं से 16 वीं शताब्दी तक गोंडवंशीय राजाओं का शासन था। पहाड़ के उपर प्रतिवर्ष चैत्र व क्वांर नवरात्र में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है। मंदिर के बैगा का कहना प्राचीन काल में पहाड़ों को संरक्षित रखने के देवी अनुष्ठान की परंपरा है। सरल और सीधे आदिवासी श्रम और श्रद्धा पर विश्वास रखते हैं। पहाड़ को देवी स्थल के रूप में विकसित किए जाने का दूसरा उद्देश्य वनक्षेत्र में शिकार को रोकना भी था। मातिन कभी समृद्ध जंगल था। मातिन दाई की कृपा से आज भी यह वन क्षेत्र साल, गोंजा, कोसम, तेंदू आदि के वृक्षों से समृद्ध है। वर्तमान समय में भी वनांचल के रहवासी वनोपज संग्रह पर आश्रित हैं। नवरात्र के दोनों ही पर्वों में क्षेत्र के लोगों पूजा अनुष्ठान अपार श्रद्धा होती है। बदले परिवेश के साथ मंदिर में दर्शन के लिए वाले श्रद्धालु भोग भंडारे का आयोजन कराते है।

मातिन दाई मंदिर में देवी आस्था को चैतुरगढ़ की अष्ठभुजी और और कोसगाई के समकालीन माना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला मानगुरू और कोसगाई क बीचो बीच पड़ता हैं। सांस्कृतिक समरूपता होने से आदिवासियों में एकता बरकरार थी। इतिहासकारों का कहना है कि पर्वतों में देवी आराधना तात्कालिक आदिवासी राजाओं की देन है। यही वजह है कि इन मंदिरों आदिवासी समाज की आस्था आज भी बरकरार है।

देवी मंदिरों में हजारों की संख्या में जगमगा रहे आस्था के जोत

रायपुर (आरएनएस)। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राजधानी रायपुर के देवी मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं चौक-चौराहों में आकर्षक पंडालों में माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही देवी मंदिरों व विभिन्न देवालयों में आस्था के जोत जगमगा रहे हैं। नवरात्रि के आज चौथे दिन नौ दुर्गा के एक रूप मां कुष्मांडा की पूजा-अर्चना की जा रही है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो आज सर्वार्थसिद्धि और अमृतसिद्धि योग बना हुआ है। नवरात्रि में इस तरह के योग विरले ही निर्मित होते हैं। आज बुधवार को मां की उपासना, सच्चे मन से की गई पूजा-प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। यही वजह है कि आज देवी मंदिरों में अपेक्षाकृत श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखी गई। शहर के माहामाया माता मंदिर, कंकाली माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, काली माता मंदिर, बंजारी माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। वहीं शहर के चौक-चौराहों में स्थापित मां की भव्य प्रतिमाओं का दर्शन करने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शहर में इस वर्ष करीब 100 से अधिक स्थानों पर माता की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहां सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।

थानों में अब तक 63 फीसदी लायसेंसी हथियार जमा

रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के एक से दो माह पूर्व ही पुलिस लायसेंसी हथियार जमा कराना शुरू कर देती है और लायसेंसी अस्त्रों को जमा करा लिया जाता है।

आचार संहिता लगने के बाद अब तक 63 प्रतिशत ही लायसेंसी हथियार जमा हो पाए हैं। गौरतलब है, रायपुर जिले में 1800 के करीब लायसेंसी हथियार हैं, इनमें से 1128 लोगों ने अपना अस्त्र अब तक जमा कराए हैं। अब तक 37 फीसदी लायसेंसी हथियार जमा नहीं होने के सवाल पर एएसपी ग्रामीण नीरज चंद्राकर का कहना है कि जिन लोगों ने हथियार जमा नहीं कराए हैं, पुलिस ऐसे लोगों को जल्द से जल्द हथियार जमा करने की हिदायत दे रही है। हथियार जमा नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस अफसर ने उचित वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जिन लोगों ने अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं, पुलिस ऐसे लोगों को नियमित कॉल कर हथियार जमा करने के लिए दबाव बनाने का भी काम कर रही है।

जिले में जिनके पास लायसेंसी हथियार हैं, उनमें से कइयों के घर का पता बदल गया है। ऐसे लोगों ने अपना पता बदलने के बाद पुलिस को अपने नए पते की जानकारी ही नहीं दी है। ऐसे लोगों की पतासाजी करने में पुलिस को • परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कइयों ने अपना - मोबाइल नंबर बंद कर दिया है या बदल दिया है। इस वजह से पुलिस का उन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

घर पर अवैध बिक्री के लिए शराब रखे होने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने की रेड कार्यवाई, देशी और अंग्रेजी शराब के 70 पाव साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कमार के निर्देशन पर अवैध शराब बिक्री व परिवहन पर कार्रवाई के लिये थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा स्टाफ व मुखबिर तैनात कर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 18/10/2023 के शाम कोतवाली टीआई शनिप रात्रे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा जोगीडिपा में शराब रेड कार्यवाही किया गया। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि सोहेल खान नाम का युवक अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए भारी मात्रा में शराब घर पर छिपा कर रखा हुआ है। कोतवाली पुलिस जोगीडिपा पहुंचकर सोहेल खान को तलब किया गया जिसने पहले शराब रखने से इंकार किया पर कड़ी पूछताछ में उसने अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए घर पर छिपाकर रखना स्वीकार किया। पुलिस कोतवाली पुलिस ने आरोपी सोहेल खान पिता काजू खान 19 वर्ष निवासी जोगीडिपा थाना कोतवाली के कब्जे से 60 पाव देशी शराब और 10 पाव अंग्रेजी शराब कुल कीमत 6,900 रुपये गवाहों के समक्ष विधिवत जप्ती का आरोपी को थाने लाया गया जिस पर थाना कोतवाली में धारा 34 (2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के साथ शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, हेमन्त पात्रे, नरेंद्र यादव, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, संदीप मिश्रा, मनोज पटनायक और गोविंद पटेल शामिल थे।

सभी नोडल अधिकारी अपने दायित्वों को समय पर पूर्ण करें - कलेक्टर डॉ सिद्दीकी

❑ कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने नोडल अधिकारियों की ली बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने समस्त नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों में संलग्न मानव संसाधन, जांच दल, वीडियोग्राफी टीम, रेण्डमाईजेशन, कम्प्यूटराईजेशन, साइबर सिक्योरिटी और आईटी, स्वीप नोडल अधिकारी, कानून व्यवस्था, ईव्हीएम मैनेजमेंट, व्यय निगरानी, बैलेट पोस्टर-पेपर, एमसीएमसी, कम्युनिकेशन प्लान, मतदाता, शिकायत और मतदाता हेल्पलाइन आदि के नोडल अधिकारी की बैठक लेकर निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी निर्वाचन संबंधी दायित्वों को समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने बिंदुवार निर्वाचन के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आनलाइन नामांकन हेतु कार्ययोजना, नोटिस बोर्ड एवं सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था, पेयजल की स्थिति, मतदान दल के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था, निर्वाचन कार्य हेतु सभी आरक्षित कक्षों में फ्लेक्स, संपत्ति विरूपण की स्थिति, नामांकन, नाम निर्देशन एवं बैरिकेटिंग हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में मतदान केंद्रों के बाहर लेखन कार्य, वोटर बूथ, मतदाता सहायता कक्ष, वाहन व्यवस्था, रूट चार्ट, मतपत्रों की उपलब्धता, सार्वजनिक सूचना जारी करने, पोस्टल बैलेट, ईव्हीएम का ट्रेनिंग, कंट्रोल टेबल, नामांकन कक्ष में कम्प्यूटर, इंटरनेट सहित अन्य व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं हेतु व्हील चेयर की व्यवस्था, महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले में लगी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को गंभीरता से कार्य करने और प्रकरण बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सुविधा ऐप, सी-विजील में मिली शिकायतों पर कार्यवाही के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, उप पुलिस अधीक्षक मनीष कुंवर सहित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

महादेव ऐप का मास्टरमाइंड गिरफ्तार : 90 गरीबों के खातों में जमा कराए 2000 करोड़

रायपुर/प्रतापगढ़ (आरएनएस)। राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की पुलिस ने सट्टेबाजी के लिए कुख्यात महादेव ऐप के संचालक मृगांक मिश्रा को मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है. इस जालसाज ने सरकारी योजनाओं में लाभ का लालच देकर गरीबों के बैंक में खाते खुलवाए थे और 90 लोगों के खाते में सट्टेबाजी की 2000 करोड़ की रकम ट्रांजेक्ट कराई थी. इन खातों में अचानक से रुपयों की बारिश होने पर बैंक कर्मियों को शक हुआ तो जांच कराई गई. मामले का खुलासा होने के बाद मृगांक मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.

प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार बुडानिया के मुताबिक मृगांक मिश्रा दुबई में बैठकर ऑपरेट करता था. वह मुख्य रूप से क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा चलता था. मूल रूप से रतलाम मध्य प्रदेश का रहने वाले मृगांक ने अब तक करोड़ों रुपये का हेरफेर किया है. फिलहाल उसे 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस जालसाज की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी.

पुलिस की जांच में पता चला है कि हाल ही में कई नामी गिरामी लोगों के नाम भी इस ऐप से जुड़े होने की वजह से सामने आए हैं. इनमें कुछ फिल्मी हस्तियां भी हैं. प्रतापगढ़ एसपी के मुताबिक जालसाज मृगांक मिश्रा और उसके साथियों ने सट्टे की रकम को ठिकाने लगाने के लिए प्रताप गढ़ में भोले भाले लोगों को शिकार बनाया. उन्हें लालच देकर बैंकों में खाते खुलवाए और फिर इन्हीं खातों में ठगी की रकम ट्रांजेक्ट कराई.

उन्होंने बताया कि मामला खुलासे होने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए इन बैंक खातों को सीज कराया, लेकिन इतने समय में पूरी रकम निकल चुकी थी. फिलहाल इन खातों में करीब 4 करोड़ रुपए की रकम मौजूद है, जिसे होल्ड करा दिया है. मृगांक से पहले चार और सटोरियों को इसी मामले में पकड़ा जा चुका है. इस संबंध में ईडी को भी सूचना देते हुए लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. वहीं इसी क्रम में सूचना मिलने पर उसे दुबई से भारत आते समय मुंबई एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया गया है.

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.वी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर से कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU